# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 21/2024 बउनवानी अशोक कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला0कलेक्टर,स0मा0 पुत्र बजरंग लाल खटीक निवासी ब्रहापुरी मोहल्ला शहर स0मा0 **GCMS No-2024/61**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **19.6.2024** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.4.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–<br><br>1. जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक प.2/सतर्कता/08/1529–30 दिनांक 3.3.2008 की पालना मे उपवन संरक्षक एवं उपनिदेशक (कोर) बाघ परियोजना स0मा0 द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित पत्रावली जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, के सतर्कता स0मा0 को भेजी गयी सम्पूर्ण पत्रावली आर्डर कोर्ट केस समस्त फाईलो की छायाप्रति दिलवावे।<br><br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।<br><br>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःएफ.13(1)(44)सूकाअ/2024/618 दिनांक 18.6.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2024 मे (पत्रांक. 2/सतर्कता/08/1529–30दिनांक 3.3.2008 की पालना मे उपवन संरक्षक बाघ परियोजना ,स0मा0 द्वारा की गयी कार्यवाही) चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग द्वारा उपनिदेशक बाघ परियोजना को जरिये पत्रांक 368–71 दिनांक 9.4.20224 को लिखा जाने पर बाघ परियोजना के पत्रांक 4402–03 दिनांक 10.6.2024 से अपीलान्ट को एक पृष्ठ की सूचना भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।<br><br>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.4.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना उपवन संरक्षक एवं बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर के पत्रांक 4402–03 दिनांक 10.6.2024 से अपीलान्ट को भिजवाया जाना बताया गया है किन्तु भिजवायी गयी सूचना की प्रति जवाब के साथ संलग्न नही होने से अपीलान्ट को भिजवायी गयी सूचना सही है अथवा नही के संबंध मे जानकारी किया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि सतर्कता अनुभाग के पत्रांक 1529–30 दिनांक 3.3.2008 की पालना रिपोर्ट [illegible] संरक्षक एवं उप निदेशक बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर से मंगवायी जाकर अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का [illegible] किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] अभिलेख की जावे आज सुनायी गयी।<br><br>(डॉ0खुशाल यादव)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner